भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1359

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता

1359. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री विजय बघेलः
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्ट्राइड वेंचर्स द्वारा देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में किस प्रकार से सहायता किए जाने की संभावना है;

(ख) विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित इंडिया स्टार्टअप्स के सतत् विकास और वृद्धि के संबंध में उक्त साझेदारी के दीर्घकालिक लक्ष्य/उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कार्यनीतिक मेंटरशिप/मार्गदर्शन और बाजार पहुंच को सुनिश्चित करने वाली कोई मौजूदा कार्यनीति है; और

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिला सहित तत्संबंधी जिलावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

देशभर में स्टार्टअप इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की शुरुआत की, जिसमें देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और सहायता", "निधीयन सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-अकादमिक क्षेत्र की भागीदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित 19 कार्य मदें शामिल हैं।

विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवप्रयोग आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग जगत और स्टार्टअप्स के बीच साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), अन्य बातों के साथ-साथ, मार्गदर्शन करने, अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने, संसाधन और ज्ञान साझा करने, बाजार लिंकेज में मदद करने तथा फंडिंग नेटवर्क से जुड़ने में सहायता करने जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विविध निजी कंपनियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस पहल के तहत, एक वेंचर डेबिट फर्म स्ट्राइड वेंचर (स्ट्राइड फंड एडवाइजर एलएलपी) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग(और (घ): स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया

पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत, सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाते हैं। ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त एंटिटी, देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद हैं।

31दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा1 ,57, 706 एंटिटी को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में, 31दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा1 , 736एंटिटी को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से, बेमेतरा जिले की 6 एंटिटी को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और दुर्ग जिले की 294 एंटिटी को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त एंटिटी की छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

विशेष रूप से, स्टार्टअप्स को कार्यनीतिक मेंटरशिप/मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर विभिन्न प्रयास करती रहती है। प्रमुख निधीयन स्कीमों ,नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष) एफएफएस(, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एसआईएसएफएस (और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम) सीजीएसए के अंतर्गत स्टार्टअप्स को निवेशकों और इन्क्यूबेटरों जैसे ईकोसिस्टम हितधारकों से भी मेंटरशिप और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कार्यक्रम के भाग के रूप में, मेंटरशिप, कॉरपोरेट लिंकेज और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सहित विभिन्न आधारों पर स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल ईकोसिस्टम तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो उद्योग जगत के विभिन्न सदस्यों से इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स हेतु एक ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करती है। बाजार तक पहुंच में सुधार करने और सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने की पहलें भी शुरू की गई हैं, जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में विकास और वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सरकार के बीच साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भागीदारी के माध्यम से सरकार स्टार्टअप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को भी सक्षम बनाती है। इसमें कई देशों के साथ शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करते हैं। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री) भास्कर(, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भी शुरुआत की गई है, ताकि इससे संसाधनों तक आसान पहुंच को सक्षम बनाया जा सके और स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

****

अनुबंध-I

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1359 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त एंटिटी की छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ऐसी एंटिटी की संख्या, जिन्हें डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71
आंध्र प्रदेश	2553
अरुणाचल प्रदेश	47
असम	1487
बिहार	3190
चंडीगढ़	532
छत्तीसगढ़	1736
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	64
दिल्ली	16082
गोवा	587
गुजरात	13053
हरियाणा	8222
हिमाचल प्रदेश	563
जम्मू और कश्मीर	988
झारखंड	1477
कर्नाटक	16624
केरल	6361
लद्दाख	18
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	5093
महाराष्ट्र	27925
मणिपुर	179
मेघालय	62
मिजोरम	41
नागालैंड	85
ओडिशा	2769
पुदुच्चेरी	161
पंजाब	1741
राजस्थान	5567
सिक्किम	12
तमिलनाडु	10577
तेलंगाना	8243
त्रिपुरा	141
उत्तर प्रदेश	15019
उत्तराखंड	1268
पश्चिम बंगाल	5165
कुल	**157,706**

****